न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या – 40/2025
जीसीएमएस सख्या – 2025/269

अपीलान्ट :–

पार्श्वनाथ लैण्ड डेवलपर्स जरिये मैनेजर पार्श्वनाथ लैण्ड डेवलपर्स पता पार्श्वनाथ सिटी सांगरिया जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

1. सुरेश पुत्र चुन्नीलाल
2. देवाराम पुत्र हरिया
3. ढलकी पत्नी घेवरराम
4. कान्ता पुत्री घेवरराम
5. बाया पुत्री घेवरराम रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती ढलकी जातियान भील निवासीयान ग्राम पाल, तहसील व जिला जोधपुर।
6. तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार जोधपुर द्वारा शुद्वि पत्र दिनांक 27.08.2008 को किया जाकर खाता संख्या 209 दर्ज किया गया

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी (अपीलान्ट की ओर से)।
2. अधिवक्ता महेन्द्र चौधरी (रेस्पो0 संख्या 01 से 03 की ओर से)
3. रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 नाबालिग जरिये संरक्षिका माता रेस्पोंडेन्ट सं. 03 उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 28.08.2025

1. अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार जोधपुर द्वारा ग्राम धिनाणा की ढाणी पटवार मण्डल पाल के खसरा नम्बर 568 में शुद्वि पत्र दिनांक 27.08.2008 के जरिए किए गये रकबा संशोधन एवं खाता संख्या 209 दर्ज करने को अपास्त करने हेतु दिनांक 17.02.2022 को अतिरिक्त कलक्टर द्वितीय जोधपुर के न्यायालय में

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पेश की है जो स्थानांतरित होकर इस न्यायालय में दिनांक 20.01.2025 को होने पर दर्ज रजिस्टर की गई।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किए गए तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तक की ओर से श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 नाबालिग के नोटिस प्रत्यर्थी – 3 ढलकी पर जरिए रजिस्टर्ड डाक तामिल हुए है।

3. अपील मीमों में अंकित अभिकथनों अनुसार ग्राम धिनाणा की ढ़ाणी (पाल) का खसरा नम्बर 568 रकबा 28–13 बीघा की भूमि टीपुड़ा, हरीया पुत्र परभुराम मीणा की खातेदारी में दर्ज थी। टीपूड़ा के देहान्त पर जमना (पत्नी) व पुत्र घेवरराम व चुनाराम का नाम दर्ज हुआ इसी प्रकार हरिया का देहान्त होने पर देवाराम, सांवतराम, जोगाराम, बालूराम (पुत्रान) एवं पारी पत्नी हरिया का नाम दर्ज हुआ। नायब तहसीलदार जोधपुर के आदेश क्रमांक राजस्व/बंटवाडा/95/66/1 दिनांक 06.02.1995 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 64 दिनांक 09.02.1995 से बंटवाडा स्वीकार किया तथा खसरा नम्बर 568 रकबा 7–03 बीघा भूमि घेवरराम पुत्र टीपू के नाम, खसरा नम्बर 568/1 रकबा 7–02 बीघा सुरेश, राजू, विनोद, महेश पुत्र चूनाराम के नाम दर्ज हुई। खसरा नम्बर 568/2 रकबा 14–08 बीघा भूमि हरीया के वारिसान देवाराम वगैरह के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार कुल 28–13 बीघा भूमि का बंटवाडा हो गया। घेवरराम का देहान्त होने पर खसरा नम्बर 568 रकबा 7–03 बीघा भूमि ओमप्रकाश पुत्र घेवरराम के नाम दर्ज हुई। ओमप्रकाश ने यह भूमि शान्ति पत्नी भंवराराम को बेची। शान्ति ने आगे लूम्बाराम व पोलाराम को बेचान की।

सुरेश, राजू, विनोद, महेश ने खसरा नम्बर 568/1 रकबा 7–02 बीघा भूमि पूनी देवी को बेची। पूनी देवी ने 7–02 बीघा भूमि लूम्बाराम व पोलाराम को बेच दी। लूम्बाराम व पोलाराम ने इस भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करा लिया।

इसी प्रकार खसरा नम्बर 568/2 रकबा 14–08 बीघा में से 12–08 बीघा भूमि देवाराम, सांवतराम, जोगाराम, बालूराम व पारी ने तथा सदाराम पुत्र गोबरराम ने खसरा नम्बर 568/2/1 रकबा 2 बीघा मांगीलाल व

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

चौथाराम को बेचान की। मांगीलाल व चौथाराग ने खसरा नम्बर 568/2, 568/2/1 की 14–08 बीघा भूमि का संपरिवर्तन कराया तथा नगर सुधार न्यास, जोधपुर के प्रकरण संख्या 546/2005 दिनांक 26.02.2005 व नामान्तरकरण संख्या 184 से न्यास के नाम दर्ज की गई।

इसके पश्चात पटवारी हल्का जोधपुर द्वारा शुद्वि पत्र भरा गया तथा तहसीलदार जोधपुर ने आदेश दिनांक 27.08.2008 पारित किया तथा आदेश की पालना में खाता संख्या 209 खसरा नम्बर 568 रकबा 1 बीघा भूमि घेवरराम पुत्र टीपूड़ा, सुरेश, राजू, विनोद, महेश पुत्र चूनाराम, देवाराम, सांवतराम, जोगाराम, बालूराम पुत्र हरीया व पारी बेवा हरीया के नाम दर्ज किया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की है तथा कथन किया है कि शुद्धि पत्र से 1 बीघा भूमि दर्ज करने का आदेश विधि प्रावधानों के विपरीत है, आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। खसरा नम्बर 568 का सम्पूर्ण रकबा मूल खातेदारान द्वारा बेचा जा चुका था। एक गांव के एक ही नम्बर का दो खसरे नहीं हो सकते। खसरा नम्बर 568 की भूमि आबादी में संपरिवर्तित हो चुकी थी। खसरा नम्बर 568 की भूमि कृषि भूमि नहीं रही। अतः आदेश पोषणीय नहीं है। शुद्वि पत्र पर आदेश पारित करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार ही नहीं है। ग्राम धिनाणा की ढ़ाणी की खसरा संख्या 568 की जमाबंदी की पटवारी द्वारा जारी प्रमाणित प्रति व आनलाईन से प्राप्त जमाबंदी में अलग–अलग नकल दर्शाया हुआ है। पटवारी की जमाबंदी में खसरा नम्बर 568 दो टुकडों में अकिंत है। एक जमाबंदी में खसरा नम्बर 568 रकबा 7–03 बीघा तथा खाता संख्या 36 है, तो दुसरी जमाबंदी में खसरा संख्या 568 रकबा –01 बीघा खाता संख्या 209 अंकित है, पटवारी की जमाबंदी में शुद्धिपत्र का अंकन नहीं है जबकि ऑनलाईन से प्राप्त जमाबंदी में शुद्धिपत्र का इन्द्राज किया हुआ है।

अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2008 को निरस्त किया जावे।

4. अपीलांट ने इस अपील को पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु म्याद अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जिसका निस्तारण, अपील को मेरिट पर सुनने एवं निस्तारण से पूर्व निस्तारित करना, विधिक आवश्यकता है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्रों में अंकित अभिकथनों अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 02.02.2022 को आनलाईन जमाबंदी की नकल लेने पर शुद्धिकरण पत्र का इन्द्राज किया हुआ पाया गया तो शुद्वि पत्र की प्रमाणित प्रति हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार कार्यालय से जानकारी हुई कि शुद्धिपत्र तहसीलदार कार्यालय में उपलब्ध ही नहीं है। दिनांक 16.02.2022 को हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल लेने पर खाता संख्या 36 में शुद्धिपत्र का इन्द्राज नहीं है, हल्का पटवारी ने बताया कि शुद्धि पत्र की फोटोप्रति जमाबंदी के संलग्न होने के कारण प्रमाणित नहीं दी जा सकती। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.02.2022 को हुई। जानकारी की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश है। विधि न्याय दिलाने में साधक है न कि बाधक है। अतः देरी को माफ कर अपील जानकारी की तिथि से अन्दर म्याद सुमार की जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई।

6. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी ने अपील मीमों एवं प्रार्थना पत्र में अंकित अभिकथनो की पुनरावर्ति करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 568 की 28–13 बीघा ही थी। मूल खातेदार टीपूड़ा व हरीया के नाम 28–13 बीघा ही दर्ज थी तथा इनके विरासत के जितने भी नामान्तरकरण दर्ज हुए है तथा इनके उत्तराधिकारियों द्वारा हस्तान्तरण करने पर जो नामान्तरकरण दर्ज हुए है उन सब में 28–13 बीघा ही दर्ज है तथा अपीलांट ने 28–13 बीघा रूपान्तरित भूमि क्रय कर के आवासीय कालोनी विकसित की है। अपीलांट का 28–13 बीघा पर ही कब्जा है परन्तु अचानक भू माफिया ने पटवारी/तहसीलदार से मिलावट कर शुद्विपत्र के जरिये रकबा 28–13 बीघा से बढ़ाकर 29–13 बीघा जमाबंदी में दर्ज कर नया खसरा खाता नम्बर दिया है जो गलत है। उक्त शुद्धिपत्र दिनांक 27.08.2008 की जानकारी हमे सर्वप्रथम दिनांक 02.02.2022 को आनलाईन से जमाबंदी की नकल लेने पर हुई तथा जानकारी की तिथि से अपील अन्दर म्याद पेश है।

7. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी ने अपीलांट की उक्त बहस का प्रतिकार करते हुए कथन किया कि अपीलांट को शुद्धिपत्र पर पारित

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश दिनांक 27.08.2008 की जानकारी प्रारंभ से ही थी। प्रत्यर्थी सुरेश की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2017 को न्यायालय तहसीलदार जोधपुर में पेश कर कथन किया कि ख.न. 568 की भूमि का रकबा 29–13 बीघा मिसल बंदोबस्त में दर्ज है। परन्तु हम गरीब अनपढ लोगो से पुरी भुमि अप्रार्थीगण ने खरीदकर कब्जा ले लिया तथा हमें पैसा 28–13 बीघा का ही दिया। अतः हमे एक बीघा भूमि का कब्जा दिलाया जावे। तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र को धारा 183बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 दर्ज कर अपीलांट को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किया। नोटिस तामिल होने पर पार्श्वनाथ डेवलपर्स की ओर से श्री भानू सोनी ने दिनांक 22.05.2017 को उपस्थित होकर आगामी तारीख पेशी ली। दिनांक 29.05.2017 को अपीलांटस की ओर से श्री अनुज बंसल मैनेजर ने न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी प्राप्त की। दिनांक 28.07.2017 को श्री संजय कोठारी अधिवक्ता ने अपीलांटस की ओर से तहसीलदार कोर्ट में वकालतनामा पेश किया इसके बाद दिनांक 15.03.2018 श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता ने अपीलांट्स की ओर से वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 22.03.2018 को उन्होने एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित बंटवाडा आदेश दिनांक 06.02.1995 नामान्तरकरण संख्या 60,119,169,184 इत्यादि दस्तावेज न्यायालय में पेश करने हेतु प्रार्थी सुरेश को निर्देशित करने की प्रार्थना की तथा यह भी कथन किया सम्पूर्ण भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित हो चुकी है। दिनांक 23.03.2018 को अपीलांट की ओर से अधिवक्ता ने उक्त विवरण के दस्तावेजों की प्रतियां फार्म नम्बर 3 में पेश की है जिसके कमांक 3 पर न्यायालय सहायक कलक्टर जोधपुर के न्यायालय के राजस्व मुकदमा में प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची प्रपत्र 3 व इसके संलग्नक शामिल है जिसकी कमांक संख्या 1 पर जमाबंदी खसरा नम्बर 568, 482 व 487 संलग्न है तथा इस जमाबंदी का खाता संख्या 209 पर इस प्रकार इन्द्राज किया हुआ है– घेवरराम पि. टिपूड़ा, सुरेश, राजू, विनोद, महेश पि. चूनाराम, देवाराम, सांवतराम जोगाराम, बालूराम पि. हरीया, पारी बेवा हरिया जाति भील सा.देह खातेदार–खसरा नम्बर 568 रकबा 01 बीघा–बारानी तृतीय

"नोटः– शुद्धिपत्र संख्या – 02 दिनांक 27.08.2008 की पालना में रकबा शुद्धि करने के लिए नया खाता दर्ज किया।"

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

इसी दिनांक 22.03.2018 को पटवारी पाल ने मौका जांच रिपोर्ट पेश की है, जिसमें खसरा नम्बर 568 में एक बीघा भूमि अलग से दर्शायी है। इसी पत्रावली में दिनांक 18.05.2018 को पटवारी ने नामान्तरकरण संख्या 60, 64, 119, 169, 184 व शुद्विपत्र की प्रतियां पेश की है इसके पश्चात अपीलांट के अधिवक्ता समय–समय पर न्यायालय में उपस्थित रहे तथा बाद में उपस्थिति दर्ज कराना बंद कर दिया तथा न्यायालय में दिनांक 14.12.2020 को आदेश पारित कर एक बीघा भूमि का कब्जा प्रत्यर्थी सुरेश वगैरह को दिलाने का आदेश पारित किया है। इस प्रकार प्रकरण संख्या 01/2017 न्यायालय तहसीलदार से अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2008 की भलीभांति जानकारी दिनांक 22.05.2017 से लगातार होती रही है परन्तु अपीलांटस ने उसके विरूद्व निर्धारित समय सीमा में अपील पेश नहीं की थी तथा दिनांक 17.02.2022 को प्रस्तुत यह अपील बहुत देरी से बिना समूचित कारणों के पेश की है जो प्रारंभतः ही खारिज योग्य है। फलस्वरूप अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील भी स्पष्टतः म्याद बाधित होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अस्वीकार की जावे।

8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन कर अवलोकन किया। धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित अभिकथनों, उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बहस के दौरान प्रस्तत कथनों एवं तर्को पर मनन किया। माननीय उच्चतम न्यायलय एवं उच्च न्यायलयों द्वारा समय–समय पर पारित विनिश्चियों का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

9. (a) न्यायालय तहसीलदार, जोधपुर द्वारा प्रकरण सं. 01/2017 प्रार्थी सुरेश पुत्र चुन्नीलाल भील द्वारा ग्राम धिनाणा की ढाणी (पाल) के ख.नं. 568 रकबा 01 बीघा भूमि पर से अपीलांट्स द्वारा किये अवैध कब्जे को हटाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 183 बी के तहत दर्ज किया है, जिसमें अपीलांट पार्श्वनाथ सिटी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका अनुसार अपीलांट की ओर से दिनांक 22.05.2017 को श्री भानू सोनी, अधिवक्ता ने उपस्थिति देकर आगे पेशी मांगी गई तथा सुनवाई तिथि 29.05.2017 नियत की गई। दिनांक 29.05.2017 को अपीलांट की ओर से श्री

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अनुज बंसल, मैनेजर ने लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर, प्रकरण में पेश प्रार्थना पत्र की प्रति चाही तथा उसका जवाब पेश करने हेतु एक माह का समय मांगा गया, जो स्वीकार कर, अगली सुनवाई तिथि दिनांक 14.06.2017 नियत की गई। दिनांक 28.07.2017 को अपीलांट की ओर से श्री संजय कोठारी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, परंतु इसके पश्चात् श्री संजय कोठारी ने उपस्थिति नहीं दी। दिनांक 15.03.2018 को श्री रूघाराम चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा अपीलांट की ओर से पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनाक 22.03.2018 को श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर, प्रत्यर्थी से कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने के कथन किये है। दिनांक 04.04.2018 को श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता ने न्यायालय में उपस्थित होकर फार्म नं. 3 में दस्तावेजात पेश किये है तथा वे अगली तारीख 16.04.2018 व 08.05.2018 को भी न्यायालय में उपस्थित रहे। दिनांक 18.05.2018 को पत्रावली कैंप कोर्ट पाल में पेश हुई, जिसकी सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। दिनाक 11.06.2018 को श्री रूघाराम चौधरी ने न्यायालय में उपस्थित दी तथा खसरा का रिकॉर्ड पेश करने हेतु समय मांगा, जो अनुमत किया जाकर अगली तिथि 21.06.2018 नियत की गई। जिसमें श्री चौधरी, अधिवक्ता उपस्थित रहे तथा अगली सुनवाई तिथि 24.07.2018 नियत की गई, परंतु श्री रूघाराम चौधरी अधिवक्ता ने न्यायालय में दिनाक 24.07.2018 एवं पश्चात्वर्ती तिथियों यथा दिनाक 09.01.2019, 15.02.2019, 13.03.2019, 08.04.2019, 23.05.2019, 10.06.2019, 29.07.2019, 20.08.2019, को अनुपस्थित रहे परंतु दिनांक 26.08.2019 को उपस्थित रहे तथा दिनांक 16.09.2020 को उपस्थित थे तथा अगली सुनवाई दिनांक 01.10.2020 नियत की गई, जिसमें अपीलांट अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अगली तिथि 14.12.2020 नियत की गई परंतु अपीलांट के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे तथा उनकी अनुपस्थिति में ही अपीलाधीन आदेश दिनाक 14.12.2020 पारित किया गया है, जिसके अनुसार ख.नं. 568 की भूमि का रकबा 29–13 बीघा माना गया तथा अपीलांट का 28.–13 बीघा भूमि हस्तांतरित होना माना गया तथा शेष एक बीघा भूमि पर पटवारी की मौका रिपोर्ट में अंकित एवं दर्शित अनुसार पार्श्वनाथ सिटी का अवैध कब्जा माना जाकर, प्रार्थी (प्रत्यर्थी) सुरेश का

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है तथा पटवारी पाल को एक बीघा भूमि का कब्जा दिलाने का आदेश दिया है।

(b) उक्त अभिलेखीय कथनों से स्पष्ट है कि अपीलांट को तहसीलदार जोधपुर द्वारा शुद्धिपत्र पर पारित आदेश दिनांक 27.08.2008 की जानकारी दिनांक 22.05.2017 से लगातार रही है लेकिन अपीलांट का कथन यही रहा है कि खसरा नम्बर 568 की भूमि का रकबा 28–13 बीघा ही है तथा अपीलांट ने पूरा रकबा खरीद लिया है। खसरा नम्बर 568 में शेष भूमि नहीं बचती है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में आक्षेपित आदेश दिनांक 27.08.2008 की जानकारी दिनांक 02.02.2022 को खसरा नम्बर 568 की जमाबंदी की नकल आनलाईन से प्राप्त करने पर होना जाहिर किया है जो कतई मानने योग्य नहीं है। अपीलांट ने प्रत्यर्थी सुरेश द्वारा न्यायालय तहसीलदार जोधपुर में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 01/2017 में भाग लिया है तथा स्वयं ने खाता संख्या 209 खसरा नम्बर 568 रकबा 1 बीघा की जमाबंदी की नकल पेश की है। धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित तारीखे अपील को म्याद के अन्दर लाने हेतु अपीलांट ने अपनी सुविधा अनुसार आदेश की नकल प्राप्त करने की तारीख के संदर्भ में तय करके अंकित की है जो विलम्ब को क्षम्य करने का ठोस कारण के रूप में मान्य नहीं की जा सकती।

(c) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने H. Guruswamy व अन्य बनाम A. Krishnaiah, सिविल अपील सं. 317 में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2025 में यह अभिनिर्धारित किया है कि अगर विलंब को पर्याप्त कारणों से स्पष्ट नहीं किया है तो प्रकरण के गुणवगुण के आधार पर विलंब को क्षम्य नहीं किया जा सकता। Held: Court must not start with merit of hte case. First ascertain the bonafides of the explanation offered by the party seeking condonation. Own inaction for a long, it cannot be presumed to be non-deliberate delay.

It is must to present dilatory tactics. Liberal approach, justice oriented approach and substantial

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

justice, should not be employed to frustrate or jettison the substantial law of limitation. It shows complete absence of judicial conscience and restraint. Issue of limitation is not merely a technical consideration, but is based on sound public policy and equity. 'Sword of Democles' cannot be kept hanging over the head of a litigant for an indefinite period of time.

In Surendra G. Shawkar V/S Esque finamark Pvt. Ltd- Civil Appeal No. 928/2025, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहा– "When scope of appeal is limited to delay condonation, merits of the matter cannot be considered."

In basavvraj and Anr. V/S Special Land Acquistion Officer, (2013)14 SCC 81- Hon'ble Supreme Court has held that-"Discreation to condone delay has to be excercised judiciously based upon the facts and circumstances of the each case. The expression 'Sufficient Cause' as occuring in section 5 of the limitation Act, cannot be liberally interpreted if negligence, inaction or lack of bonafide is writ large. It was also observed that even though limitation may harshy affects rights of parties but it has to be applied with all its rigours as prescribed under the statute, as the courts have no choice but to apply law as it stands and the have no power to condone delay an equitable grounds.

10. उपरोक्तानुसार समग्र विवेचन व विश्लेषण व प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय का स्पष्ट मत है कि हस्तगत

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित कारण पर्याप्त व संतोषप्रद नहीं है तथा अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में की गई देरी सद्भाविक नहीं है तथा अपीलांट ने अपील पेश करने में लापरवाही बरती है। विलम्ब शमन हेतु पर्याप्त कारण स्पष्ट करने में अपीलांट विफल रहा है। अतः अपीलांट द्वारा देरी को क्षम्य करने हेतु प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य है तथा परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील म्याद बाहर पेश होने से अस्वीकार योग्य है।

आदेश

11. परिणामतः अपीलांट द्वारा तहसीलदार जोधपुर द्वारा शुद्वि पत्र पर पारित आदेश दिनांक 27.08.2008 के विरूद्व दिनांक 17.02.2022 को अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षम्य करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 को अस्वीकार किया जाता है। अतएव अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निर्धारित अवधि के पश्चात पेश करने के कारण अस्वीकार की जाती है।
12. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को पुनः लौटाया जावे।
13. प्रकरण में लंबित अन्य प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) को एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।
14. पत्रावली बाद तामिल एवं तक्मील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह आदेश आज दिनांक 28.08.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर